

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर 2020—भाद्रपद 27, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रूही यास्मिन आत्मजा शेख रूम बख्श, उम्र 36 वर्ष निवासी-तालापारा-हुसैनी मस्जिद के पास, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम रूही बेगम आत्मजा शेख रूम बख्श दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है. मैं अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम रूही यास्मिन रख ली हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब मुझे रूही यास्मिन आत्मजा शेख रूम बख्श के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

रूही बेगम
पिता-शेख रूम बख्श
निवासी-तालापारा-हुसैनी
मस्जिद के पास, बिलासपुर,
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

रूही यास्मिन
पिता-शेख रूम बख्श
निवासी-तालापारा-हुसैनी
मस्जिद के पास, बिलासपुर,
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बृजलाल मौर्य आत्मज श्री जोखन मौर्य, उम्र 49 वर्ष, निवासी-मकान नं.-3/ए, सेक्टर-4, सड़क नं.-9, वार्ड नं.-42, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम Brajlal Morya, Braj lal Morya आत्मज Jokhan, आधार कार्ड में बी. एल. मौर्य B. L. Maurya, पेनकार्ड में Brajlal Morya आत्मज Jokhan Mourya दर्ज है। जिसकी स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण व अपूर्ण है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर वास्तविक नाम बृजलाल मौर्य (Brijlal Maurya) आत्मज श्री जोखन मौर्य Shri Jokhan Maurya रख लिया हूँ। तथा इस आशय के संबंध में समक्ष प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे बृजलाल मौर्य (Brijlal Maurya) आत्मज श्री जोखन मौर्य (Shri Jokhan Maurya) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

बृजलाल मौर्य
(Braj lal Morya)
Brajlal Morya
बी. एल. मौर्य
(B. L. Maurya)
पिता-जोखन (Jokhan)
जोखन मौर्य (Jokhan Mourya)
निवासी-मकान नं.-3/ए,
सेक्टर-4, सड़क नं.-9
वार्ड नं.-42, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

बृजलाल मौर्य
(Brijlal Maurya)
पिता-श्री जोखन मौर्य
(S/o- Shri Jokhan Maurya)
निवासी-मकान नं.-3/ए,
सेक्टर-4, सड़क नं.-9
वार्ड नं.-42, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कौसर सकीना दीवान ध. प. हकीमुद्दीन दीवान, उम्र 55 वर्ष, निवासी-ब्लॉक-ई/234, प्रगति नगर, रिसाली, मधुरिशा हाइट, फेस 3, सिविक सेंटर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मैं शा. उ. मा. विद्यालय चरोदा में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम KOUSAR SAKINA DIWAN, पासपोर्ट में KAUSAR SAKINA ड्रायविंग लायसेंस व पैन कार्ड में KAUSAR SAKINA DIWAN, पति H. DIWAN, SAKINA KAUSAR आत्मजा SHABBIR HUSAIN दर्ज है। जिसकी स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण व अपूर्ण है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम कौसर सकीना दीवान KAUSAR SAKINA DIWAN ध. प. हकीमुद्दीन दीवान (HAKIMUDDIN DIWAN) रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे कौसर सकीना दीवान KAUSAR SAKINA DIWAN ध. प. हकीमुद्दीन दीवान (HAKIMUDDIN DIWAN) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

KOUSAR SAKINA DIWAN,
KAUSAR SAKINA,
SAKINA KAUSAR
पति-H. DIWAN
निवासी-ब्लॉक-ई/234,
प्रगति नगर, रिसाली,
मधुरिशा हाइट, फेस 3,
सिविक सेंटर भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

कौसर सकीना दीवान
KAUSAR SAKINA DIWAN
पति-हकीमुद्दीन दीवान
(W/o-HAKIMUDDIN DIWAN)
निवासी-ब्लॉक-ई/234,
प्रगति नगर, रिसाली,
मधुरिशा हाइट, फेस 3,
सिविक सेंटर भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मिसाला लक्ष्मण राव आत्मज मिसाला वेंकट राव, उम्र 41 वर्ष, निवासी-बी. 308, शीला पार्क, राजकिशोर नगर, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर में कार्यरत हूँ। मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा व मेरे पिता का लघु नाम एम. लक्ष्मण राव (M. Lakshman Rao) आत्मज एम. वेंकट राव (M. Venkat Rao) दर्ज है जबकि हमारा वास्तविक पूर्ण नाम मिसाला लक्ष्मण राव (Meesala Lakshman Rao) आ. मिसाला वेंकट राव (Meesala Venkat Rao) है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, वास्तविक नाम को मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे मिसाला लक्ष्मण राव (Meesala Lakshman Rao) आत्मज मिसाला वेंकट राव (Meesala Venkat Rao) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

एम. लक्ष्मण राव
(M. Lakshman Rao)
पिता-एम. वेंकट राव
(S/o-M. Venkat Rao)
निवासी-बी. 308, शीला पार्क,
राजकिशोर नगर, बिलासपुर,
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

मिसाला लक्ष्मण राव
(Meesala Lakshman Rao)
पिता-मिसाला वेंकट राव
(S/o-Meesala Venkat Rao)
निवासी-बी. 308, शीला पार्क,
राजकिशोर नगर, बिलासपुर,
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, वारेसा खान ध. प. मोहम्मद कैस खान, उम्र 33 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.-23, बिरला ओपन प्री स्कूल के पीछे, सहदेव नगर, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम कुमारी वारिशा हाशमी (Warisha Hashmi) आत्मजा Enul Haque Hashmi, Warisha Hashni आत्मजा Enul Haque Hashni तथा मेरे पेनकार्ड में Waresa Khan आत्मजा Ainul Haq Hashmi दर्ज है। मेरा विवाह दिनांक 14-12-2009 को मोहम्मद कैस खान के साथ संपन्न हुआ। विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम वारेसा खान (Waresa Khan) रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे वारेसा खान (Waresa Khan) ध. प. मोहम्मद कैस खान (Mohammad Kais Khan) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

कुमारी वारिशा हाशमी
(Warisha Hashmi)
(Warisha Hashni)
पिता-Enul Haque Hashni
Enul Haque Hashmi
Ainul Haq Hashmi
निवासी-वार्ड नं.-23,
बिरला ओपन प्री स्कूल के पीछे,
सहदेव नगर, राजनांदगांव,
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नया नाम

वारेसा खान
(Waresa Khan)
पति-मोहम्मद कैस खान
(W/o-Mohammad Kais Khan)
निवासी-वार्ड नं.-23,
बिरला ओपन प्री स्कूल के पीछे,
सहदेव नगर, राजनांदगांव,
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नरसिंह ठाकुर आत्मज स्व. उदय सिंह नागवंशी, उम्र 59 वर्ष, निवासी-ग्राम-कालीपुर, तहसील जगदलपुर जिला बस्तर (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम नरसिंह नागवंशी था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज है तथा मैं इसी नाम से जाना, पहचाना जाता था। मैंने अपने उपनाम “नागवंशी” को परिवर्तित कर, अन्य उपनाम “ठाकुर” जोड़कर नया नाम नरसिंह ठाकुर रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे नरसिंह ठाकुर आत्मज स्व. उदय सिंह नागवंशी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नरसिंह नागवंशी
पिता- स्व. उदय सिंह नागवंशी
निवासी-ग्राम-कालीपुर,
तहसील-जगदलपुर
जिला-बस्तर (छ. ग.)

नया नाम

नरसिंह ठाकुर
पिता- स्व. उदय सिंह नागवंशी
निवासी-ग्राम-कालीपुर,
तहसील-जगदलपुर
जिला-बस्तर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सुनीता निर्मलकर ध. प. श्री समय लाल निर्मलकर, उम्र 47 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-3-सी, सड़क-11, सेक्टर-6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे पति के सर्विस रिकार्ड व कुछ अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सुनीता दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मेरा वास्तविक नाम सुनीता निर्मलकर है जो कि मेरे समस्त अभिलेखों में दर्ज है। मैं मेरे नाम को, मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में परिवर्तित कर, वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती सुनीता निर्मलकर ध. प. श्री समय लाल निर्मलकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

सुनीता
पति- श्री समय लाल निर्मलकर
निवासी-क्वा. नं.-3-सी,
सड़क-11, सेक्टर-6, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती सुनीता निर्मलकर
पति- श्री समय लाल निर्मलकर
निवासी-क्वा. नं.-3-सी,
सड़क-11, सेक्टर-6, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मोनिका एलिजाबेथ राम ध. प. श्री आलोक कुमार राम, उम्र 42 वर्ष, निवासी-Mogra-237, B-Block, Talpuri International colony Bhilai, Civic Centre, Tahsil and District Durg (C. G.) की हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम श्रीमती मोनिका एलिजाबेथ राम (Smt. Monica Elezabath Ram) है, किन्तु मेरी पुत्री के कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम श्रीमती मोनिका एलिजाबेथ राम (Monica Elizabeth Ram) दर्ज है जिसमें मेरे उपनाम की स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण है। मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर, मेरी पुत्री के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा वास्तविक नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती मोनिका एलिजाबेथ राम (Smt. Monica Elezabath Ram) ध. प. श्री आलोक कुमार राम (Shri Alok Kumar Ram) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती मोनिका एलिजाबेथ राम (Smt. Monica Elizabeth Ram) पति-श्री आलोक कुमार राम (W/o-Shri Alok Kumar Ram) निवासी-Mogra-237, B-Block, Talpuri International colony Bhilai, Civic Centre, Tah& Distt - Durg (C. G.)	श्रीमती मोनिका एलिजाबेथ राम (Smt. Monica Elezabath Ram) पति-श्री आलोक कुमार राम (W/o-Shri Alok Kumar Ram) निवासी-Mogra-237, B-Block, Talpuri International colony Bhilai, Civic Centre, Tah& Distt - Durg (C. G.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती निकी शर्मा ध. प. श्री पंकज कुमार, उम्र 26 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-19-ए, सड़क-10, सेक्टर-3, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम निकी कुमारी था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व कुछ अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम निकी दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैंने अपने नाम के साथ उपनाम “शर्मा” जोड़कर नया नाम निकी शर्मा रख ली हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त अभिलेखों, दस्तावेजों तथा मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती निकी शर्मा ध. प. श्री पंकज कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
निकी, निकी कुमारी पति-श्री पंकज कुमार निवासी-क्वा. नं.-19-ए, सड़क-10, सेक्टर-3, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती निकी शर्मा पति-श्री पंकज कुमार निवासी-क्वा. नं.-19-ए, सड़क-10, सेक्टर-3, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रघुवीर प्रसाद जायसवाल आत्मज स्व. हीरा लाल, उम्र 47 वर्ष, निवासी-एम. आई. जी.-1-15/1, वार्ड नंबर-14, जवाहर नगर, पम्प हाउस के पास, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम रघुवीर प्रसाद (Raghuveer Prasad) दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “जायसवाल” जोड़कर नया नाम रघुवीर प्रसाद जायसवाल (Raghuveer Prasad Jaiswal) रख लिया हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे रघुवीर प्रसाद जायसवाल (Raghuveer Prasad Jaiswal) आत्मज स्व. हीरा लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

रघुवीर प्रसाद
(Raghuveer Prasad)
पिता-स्व. हीरा लाल
निवासी-एम. आई. जी.-1-15/1,
वार्ड नंबर-14, जवाहर नगर,
पम्प हाउस के पास,
सुपेला, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

रघुवीर प्रसाद जायसवाल
(Raghuveer Prasad Jaiswal)
पिता-स्व. हीरा लाल
निवासी-एम. आई. जी.-1-15/1,
वार्ड नंबर-14, जवाहर नगर,
पम्प हाउस के पास,
सुपेला, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गिरीश कुमार साहू आत्मज श्री शंकर लाल साहू, उम्र 38 वर्ष, निवासी-मकान नं.-3, जवाहर नगर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं मेडिकल विभाग, जायडस हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी, मुम्बई अंतर्गत दुर्ग में कार्यरत हूँ। मेरा वास्तविक नाम गिरीश कुमार साहू है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व कुछ अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम गिरीश कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है, को परिवर्तित कर मैं मेरे वास्तविक नाम को मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/प्रमाण पत्रों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे गिरीश कुमार साहू (Girish Kumar Sahu) आत्मज श्री शंकर लाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

गिरीश कुमार
(Girish Kumar)
पिता-श्री शंकर लाल साहू
निवासी-मकान नं.-3,
जवाहर नगर, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

गिरीश कुमार साहू
(Girish Kumar Sahu)
पिता-श्री शंकर लाल साहू
निवासी-मकान नं.-3,
जवाहर नगर, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शिवनारायण देशमुख आत्मज स्व. कामता प्रसाद, उम्र 50 वर्ष, निवासी-म. नं.-9/4, पुरानी बस्ती, गांधी चौक, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम शिव नारायण दर्ज है। जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “देशमुख” जोड़कर नया नाम/उपनाम शिवनारायण देशमुख रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे शिवनारायण देशमुख आत्मज स्व. कामता प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

शिव नारायण
पिता-स्व. कामता प्रसाद
निवासी-म. नं.-9/4, पुरानी बस्ती,
गांधी चौक, सुपेला, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

शिवनारायण देशमुख
पिता-स्व. कामता प्रसाद
निवासी-म. नं.-9/4, पुरानी बस्ती,
गांधी चौक, सुपेला, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नीलम सत्य भूषण कन्नौजे आत्मज स्व. कामता प्रसाद, उम्र 38 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-171, प्रथम वाहिनी, पुरानी लाईन, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ। मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम नीलम सत्य भूषण दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैंने अपने नाम के साथ उपनाम “कन्नौजे” जोड़कर नया नाम/उपनाम नीलम सत्य भूषण कन्नौजे रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे नीलम सत्य भूषण कन्नौजे (Nilam Satya Bhushan Kannoje) आत्मज स्व. कामता प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नीलम सत्य भूषण
(Nilam Satya Bhushan)
पिता-स्व. कामता प्रसाद
निवासी-क्वा. नं.-171, प्रथम
वाहिनी, पुरानी लाईन, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

नीलम सत्य भूषण कन्नौजे
(Nilam Satya Bhushan Kannoje)
पिता-स्व. कामता प्रसाद
निवासी-क्वा. नं.-171, प्रथम
वाहिनी, पुरानी लाईन, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास मुंगेली छ. ग.

मुंगेली, दिनांक 4 मार्च 2020

प्रारूप क्र. 4

[देखे नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 05 (2) छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1962 की नियम 05 (1) के अंतर्गत]

क्रमांक/3118/प्र./अ.वि.अ./राजस्व/2020.—चूंकि आवेदक श्री यशवंत कुमार सिंह अध्यक्ष आदि श्री महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट कंतेली, ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 04 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई, संपत्ति एवं लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 12-3-20 को विचार हेतु नियत किया गया है, कोई भी व्यक्तियों उक्त न्यास की संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो उसे इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभावक या अधिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/सुझाव को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | | |
|------|------------------------|----|---|
| 1. | लोक न्यास का नाम व पता | :- | आदि श्री महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट कंतेली, जिला-मुंगेली (छ. ग.) |
| 2. | अचल संपत्ति | :- | (1) ग्राम-कंतेली ख. नं. 281 रकबा 1.214 हे. दुर्गा मंदिर कंतेली |
| | | | (2) ग्राम-रानी उमरिया ख. नं. 56/3 रकबा 0.202 हे. श्री शंकर भगवान मंदिर कंतेली |
| | | | (3) ग्राम-अमलीडीह ख. नं. 203/4 रकबा 0.809 हे. महामाया दुर्गा मंदिर. |
| 3. | चल संपत्ति (आभूषण) :- | | |
| (1) | रुपया | - | 27 नग - 270 ग्राम |
| (2) | ढ़ार | - | 03 नग - 85 ग्राम |
| (3) | कटहर | - | 02 नग - 100 ग्राम |
| (4) | मुकुट | - | 04 नग - 180 ग्राम |
| (5) | करधन | - | 05 नग - 460 ग्राम |
| (6) | छत्र | - | 04 नग - 680 ग्राम |
| (7) | कटोरी | - | 09 नग - 125 ग्राम |
| (8) | थाली | - | 02 नग - 460 ग्राम |
| (9) | चम्मच | - | 10 नग - 50 ग्राम |
| (10) | चंदन पात्र | - | 01 नग - 30 ग्राम |
| (11) | चांदी हार | - | 01 नग - 22 ग्राम |
| (12) | चाबी रिंग | - | 01 नग - 45 ग्राम |
| (13) | जल पात्र | - | 01 नग - 50 ग्राम |
| | चांदी का कुल वजन | - | 2,557 ग्राम |
| | सोने का वजन | - | हार (चैन) 03 नग 20 ग्राम |

नवीन कुमार भगत

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं

पंजीयक

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

कलेक्ट्रेट के सामने पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 17 जुलाई 2020

क्रमांक/परिसमापन/पुनर्जीवित/2020/1254.—बंजरग कामगार सहकारी समिति मर्या. नवाडीह पंजीयन क्रमांक 3933 विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर को पुनर्जीवित किये जाने हेतु परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तूरी के द्वारा पुनर्जीवित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. संस्था के वर्ष 2015-16, 2016-17, 17-18, 18-19 एवं 19-2020 तक का अंकेक्षण टीप विभागीय अंकेक्षक से कराकर कार्यालय में जमा करने, अंकेक्षण शुल्क जमा कराने का लेख कराते हुए समिति को पुनर्जीवित किये जाने का अनुशंसा किया गया है. अतः संस्था एवं सदस्यों के हित को ध्यान में रखते हुए, सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तूरी एवं परिसमापक, के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से मैं सहमत हूँ.

अतः छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के तहत बंजरग कामगार सहकारी समिति मर्या. नवाडीह पंजीयन क्रमांक 3933 विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर को इस शर्त पर “निर्धारित समयावधि में मतदाता सूची तैयार कर संस्था के निर्वाचन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करने, संस्था का नियमित अंकेक्षण कराने” पुनर्जीवित करती हूँ एवं आगामी 03 माह तक संस्था के कार्य संचालन हेतु श्री छोटेलाल की अध्यक्षता में 04 सदस्यीय कमेटी गठित करती हूँ जिसमें श्री रघुनाथ श्री लाला रजक एवं श्री मनबोध सदस्य रहेंगे, को अधिकृत करती हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 10 अगस्त 2020

संशोधित आदेश

क्रमांक/परि./2020/1310.—वस्तुतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/2217 दिनांक 15-09-2020 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री जी. पी. बिन्द सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक के स्थान पर सहकारी अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री आर. एन. तिवारी सहकारी निरीक्षक को को.- आप. इम्प्लाइज साख सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पं. क्र. 409 दिनांक 26-03-1963 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय पद मुद्रा से जारी किया गया.

मंजू महेन्द्र पाण्डेय,
उप पंजीयक.